



कार्यालय: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: cf-medininagar@gov.in

दूरभाष / Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232

पत्रांक- 1165

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, -सह- कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची

मेदिनीनगर, दिनांक:- 26/8/2021

विषय:- मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 के0भी0/डी0सी0 पतरातु से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-169.0098 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल- 103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमण्डल-7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल- 57.3603 हे0) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार का पत्रांक 1239 दिनांक 19.08.2021

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1239 दिनांक 19.08.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 के0भी0/डी0सी0 पतरातु से लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-169.0098 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल- 103.681 हे0 रामगढ़ वन प्रमण्डल-7.9685 हे0 एवं राँची वन प्रमण्डल- 57.3603 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन को अग्रसारित करने के पूर्व इस कार्यालय का पत्रांक 1161 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा विषयक मामले की संचिका, अनुपालन प्रतिवेदन तथा अग्रसारण पत्र प्रारूप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर की अनुमोदन/सहमति प्राप्त करने हेतु भेजी गयी। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर के पत्रांक 1796 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन की चार प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही हैं।

अनु:0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

26/8/2021

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

26/8/2021